# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 24/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2023/64

**अनवान**

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री साहिल मिरानी पिता श्री श्याम मिरानी, सिंधी, मालिक एवं विक्रेता मैसर्स के.आर. कॉर्पोरेशन, 65, कृषि उपज मण्डी, सविना, स्थाई पता म.न. 183, वकील कॉलोनी सेक्टर 11 हिरणमगरी, उदयपुर मो. 8302686889
2. श्री देवेन्द्रकुमार मोहनलाल गजेरा, मैसर्स इमामी एग्रोटेक लिमिटेड, प्लॉट न. 49, स्मार्ट इण्डस्ट्रीस पोर्ट सिटी काण्डला, 370210, कच्छ, गुजरात।
3. मैसर्स इमामी एग्रोटेक लिमिटैड, प्लॉट न. 49, स्मार्ट इण्डस्ट्रीस पोर्ट सिटी काण्डला, 370210 कच्छ, गुजरात।

—विपक्षीगण

**उपस्थित**

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री चांदमल सांखला अधिवक्ता वि.स.1 ।
3. श्री रजत मेहता अधिवक्ता वि.स. 2 व 3।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

**●निर्णय●**

**दिनांक 06-06-2024**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 13.12.2022 को 02.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स के.आर. कॉर्पोरेशन, 65, कृषि उपज मण्डी, सविना, उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री साहिल मिरानी उपस्थित पाये गये,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

जिन्होने स्वयं को मैसर्स के.आर. कॉर्पोरेशन, 65, कृषि उपज मण्डी, सविना, उदयपुर का मालिक/विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 50 कार्टुन रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (Himani best choice) 500 एम.एल. वाली बोतल सीलबन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी गई। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (Himani best choice) 500 एम.एल. वाली 4 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिति में वास्ते जॉच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (Himani best choice) 500 एम.एल. वाली की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 274 रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा तेल को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में मूल ही प्रत्येक बोतल पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं बोतल को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2078** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के बोतल पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1303 दिनांक 23.01.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/966/एक्ट/2022/966 दिनांक 20.12.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया। क्योंकि contravenes to regulation no. 2.5.(3)(c) of food safety & Standards (Labelling and Display) Regulations 2020, on the label logo of fortified and tag line not given hence the label of sample contravenes to regulation no. 7(2) of food safety & Standards (fortification of food) Regulations 2018 पाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ. एस.एस.ए./2023/1302 दिनांक 23.01.2023 के द्वारा विक्रेता एवं 2728 दिनांक 14.02.23 द्वारा निर्माता फर्म को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4513 दिनांक 08.05.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपीगण ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। आरोपी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि वह मात्र विक्रेता है निर्माता कम्पनी से सीलपैक स्थिति में माल प्राप्त कर सीलपैक स्थिति में ही उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। उक्त माल को केवल विपक्षी संख्या 3 द्वारा निर्मीत किया गया है इसमें विपक्षी संख्या 1 का कोई दोष नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 1 को अंतर्गत धारा 80(2)(d)(i) सपठित 80(2)(a)(i) का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि नियुक्ति लैब टेक्नीशियन के तौर पर होना बताया है। इसलिऐ प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत योग्यता नहीं रखता है ऐसे में सम्पूर्ण कार्यवाही अपोषणीय होने के कारण खारिज योग्य है। चौथे हिस्से के नमूने को एनएबीएल जांच प्रयोगशाला से करवाने हेतु अधिकार व अवसर अनिवार्य है । प्रस्तुत प्रकरण में जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 के करीबन 45 दिवस बाद फार्म 5ए की प्रतिलिपी भेजने का तथ्य सामने आता है, जो दर्शाता है कि आवेदक द्वारा नियम 2.4.5.1 का उल्लंघन कर प्रस्तुत परिवाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। जांच अधिकारी द्वारा सेम्पल सही प्रकिया अपना कर नहीं लिया गया है कार्यवाही प्रीन्टेट फोर्मेट पर की गई है। विपक्षी संख्या 3 को 5ए की प्रति दो माह पश्चात दी गई है जो विपक्षी संख्या 3 के अधिकारों अतन्तर्गत 2.4.1.3 का उल्लंघन होना साबित करता है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

आवेदक द्वारा दिनांक 14.02.2023 को नोटिस अंतर्गत धारा 46(4) देना बताया है तथा 6.02.2023 को फार्म 5 ए भेजना बताया है इससे स्पष्ट है कि नोटिस अंतर्गत धारा 46(4) में आरएफएल की रिपोर्ट कन्क्लयूसीव एवीडेन्स होती है इसलिए प्रकरण अभियुक्त का अधिकार अन्तर्गत धारा 2.4.1.3 का उल्लंघन स्पष्ट है, इसलिए भी प्रस्तुत परिवाद खारिज होने योग्य है। अभियुक्त संख्या 3 द्वारा भा.खा.सु.आयोग के समक्ष एक आवेदन पेश कर कम्पनी के पास पुराने लेबल स्टॉक में होने के कारण उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ वक्त मांगा गया, जिस पर भारतीय सुरक्षा आयोग द्वारा पत्र दिनांक 01.02.2023 को उपरोक्त निवेदन स्वीकार कर तीन माह का अतिरिक्त वक्त पुराने लेबल को निपटाने हेतु दिया गया था। इस जवाब को नजरअंदाज कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं आरोपी को भारी जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता आरोपीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि आवेदक योग्यता नहीं रखता है, फार्म 5ए की सूचना नहीं दी। हमने आयोग से अतिरिक्त समय लेने के बाद ही पुराने लेबल से विक्रय किया है। प्रकरण खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा रिबटल बहस में तर्क दिया कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति देकर अधिकार प्रदान किये है जिसकी प्रति संलग्न है। फार्म 5 ए की प्रति रजिस्टर्ड भेजी गई जिसकी रसीद पत्रावली में है अदम तामील होने की स्थिति में लिफाफा लौटकर नहीं आया है। एनएबीएल की जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत कर राशि जमा करानी होती है एसी कोई कार्यवाही विपक्षीगण ने नहीं की है। सेम्पल नियमानुसार लिया गया है जो जांच रिपोर्ट में पास नहीं हुआ है प्रकरण को जानबुझकर लम्बा किया है, अतः भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 50 कार्टुन रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (Himani best choice) 500 एम.एल. वाली बोतल सीलबन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी गई। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (Himani best choice) 500 एम.एल. वाली 4 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिति में वास्ते जॉच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्ड होना पाया गया। **क्योंकि contravenes to regulation no. 2.5.(3)(c) of food safety & Standards (Labelling and Display) Regulations 2020, on the label logo of fortified and tag line**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

**not given hence the label of sample contravenes to regulation no. 7(2) of food safety & Standards (fortification of food) Regulations 2018 पाया गया।**

आरोपी द्वारा मुख्य बिन्दु के आधार पर उक्त प्रकरण को मिसब्राण्ड नहीं माना जाकर प्रकरण खारिज किया जाने का तर्क दिया है उन बिन्दुओं पर निष्कर्ष है कि:–

1. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी लेब टेकनिशियन होने से सेम्पल लेकर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत नहीं होने से प्रकरण खारिज योग्य है– आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ राजस्थान का राजपत्र दिनांक 29 नवम्बर 2011 का पेश किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा अशोक कुमार गुप्ता को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधिकार प्रदान किये गये है जिस हैसियत से उन्होने सेम्पल लिया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार है।

2. विपक्षी संख्या 3 को फार्म संख्या 5ए की प्रति नहीं दी गई है– प्रकरण मे आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ नोटिस की प्रति पेश की जो रजिस्टर्ड एडी से भेजी गई जिसकी रसीद संलग्न है, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 3 को सूचना दी गई है।

3. यह कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा भा.खा.सु.आयोग से 3 पुराने लेबल को निपटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। इसलिए रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है– आरोपी द्वारा भा.खा.सु.आयोग के द्वारा पुराने लेबल स्टॉक को निपटाने हेतु एक्सटेंशन दिनांक 01.02.2023 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें विपक्षी द्वारा भा.खा.सु.आयोग को पुराने लेबल निपटाने के लिए अतिरिक्त समय दिनांक 23.12.2022 से मांगा गया था, जिसकी पालना में दिनांक 01.02.2023 से पत्र जारी कर 30 जून 2022 से पूर्व के प्रींटेड लेबल को 3 माह में निपटाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसके लिए फार्म 5 ए का अवलोकन करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सेम्पल लिया गया है उस पर पैकेजिंग दिनांक 10 नवम्बर 2022 अंकित की हुई है एवं युज बाई 9 जुलाई 2023 अंकित किया हुआ है। उक्त सेम्पल की प्रकिया दिनांक 13.12.2022 को की गई है। लेब की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 को प्राप्त हुई। जिसके तहत विपक्षी संख्या 1 विक्रेता को दिनांक 23.01.23 से धारा 46(4) का नोटिस दिया गया । एवं विपक्षी संख्या 3 को मिसब्राण्डेड हेतु सूचित कर दस्तावेजात हेतु दिनांक 24.01.2023 से पत्राचार किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 07.02.23 से विपक्षी संख्या 3 द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराये गये। चूंकि सैम्पल दिनांक 13.12.2022 को लिया गया था, उसके पश्चात ही कम्पनी ने पुराने लेबल को एक्सटेंशन के लिए दिनांक 23.12.2022 को पत्र लिखा गया है। संभवत् विक्रेता द्वारा सेम्पलिंग की जानकारी निर्माता कम्पनी को दी होगी उसी के आधार पर कम्पनी ने एक्सटेंशन हेतु पत्र लिखा हो। भा.खा.सु.आयोग द्वारा भी 30 जून 2022 से पूर्व के प्रींटेड लेबल को 3 माह में निपटाने के निर्देश प्रदान किये गये है, जबकि उक्त लेबल पैकेजिंग दिनांक 10 नवम्बर 2022 का है इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उक्त लेबल को 30 जून 2022 के बाद प्रिन्टेट किया गया है, अतः उक्त लेबल छूट अवधि के भीतर नहीं आता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियोजन

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

पक्ष की ओर से की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार पाई जाती है। रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (Himani best choice) 500 एम.एल. नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्ड होना पाया जाता है। Himani best choice एक जाना माना राष्ट्रीय ब्राण्ड है, जिसकी खाद्य पदार्थो की आपूर्ति पूरे भारत में होती है। उक्त कम्पनी के वृहद स्तर पर उपभोक्ता है, ऐसी स्थिति में कम्पनी को चाहिए कि वह उपभोक्ताओ के हितो के अनुकुल व्यवहार करे, एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्देशों की पालना में अपने खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय करे।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 52 के अर्न्तगत एसे मामलों मे अधिकतम राशि 3,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

आरोपीगण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपीगण को संयुक्त रूप से राशि ₹3,00,000/–रू (अक्षरे रूपया तीन लाख रूपया मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षीगण अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( दीपेन्द्र सिंह राठौर )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर